प्रेषक,

शकील अहमद सिद्दीकी,

उप सचिव,

उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग,

उत्तर प्रदेश लखनऊ।

अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक 30 मार्च, 2024

विषय-वित्तीय वर्ष 2023-24 में उ0प्र0 शिया सेन्ट्रल वक्फ बोर्ड को अनावर्तक अनुदान मद में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष द्वितीय किश्त की वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदया,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-6177/अ0सं0क0नि0-13/लेखा/बजट-प्रा0/2022-24 दिनांक 23.03.2024 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या-1/2024/354/52-2-2024 दिनांक 14.02.2024 द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुदान संख्या-48 के अन्तर्गत अनावर्तक अनुदान मद में प्राविधानित कुल धनराशि रु0 1,00,90,000/- में से उ0प्र0 शिया सेण्ट्रल वक्फ बोर्ड के अंश 40 प्रतिशत का 25 प्रतिशत प्रथम किश्त के रूप में रु0 10,09,000.00 की वित्तीय स्वीकृति की गयी थी। अत: उक्त के क्रम में वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुदान संख्या-48 के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश शिया सेन्ट्रल वक्फ बोर्ड एवं उत्तर प्रदेश सुन्नी सेन्ट्रल वक्फ बोर्ड के अनावर्तक अनुदान मद में प्राविधानित कुल धनराशि रु0 1,00,90,000/-(रुपये एक करोड़ नब्बे हजार मात्र) में से उत्तर प्रदेश शिया सेन्ट्रल वक्फ बोर्ड के निर्धारित अंश 40 प्रतिशत का 25 प्रतिशत द्वितीय किश्त के रुप में रु0 10,09,000/- (रुपये दस लाख नौ हजार मात्र) की धनराशि उत्तर प्रदेश शिया सेन्ट्रल वक्फ बोर्ड के लिए आवंटित् किये जाने हेतु श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) उक्त धनराशि का हस्तान्तरण उत्तर प्रदेश शिया सेन्ट्रल वक्फ बोर्ड, लखनऊ को किया जायेगा।

(2) निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण यह सुनिश्चित करेगें कि प्रश्नगत कार्य हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।

(3) कोषागार से धनराशि का आहरण मासिक आवश्यकतानुसार किया जायेगा तथा धनराशि को आहरित कर बैंक/डाकघर में जमा नहीं किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

(4) स्वीकृत धनराशि का केवल शासन द्वारा अनुमोदित कार्यों/प्रयोजनों के लिये ही व्यय किया जायेगा। किसी भी दशा में उक्त धनराशि पुराने दायित्वों व किसी अन्य मद में व्यय नहीं की जायेगी।

(5) धनराशि का आवंटन (एलाटमेन्ट मात्र) किसी प्रकार के व्यय करने का अधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व तदनुसार स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी।

(6) स्वीकृत की जा रही धनराशि के व्यय में वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(7) अवमुक्त धनराशि के व्यय के संबंध में उपयोगिता प्रमाण-पत्र/व्यय विवरण सहित प्रगति आख्या मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उत्तर प्रदेश शिया सेन्ट्रल वक्फ बोर्ड, लखनऊ द्वारा निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के माध्यम से शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(8) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023 दिनांक 17 मार्च, 2023 में दिये गये शर्तों/प्रतिबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(9) बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण का होगा। वित्तीय स्वीकृति निदेशक द्वारा बजट प्राविधान के सापेक्ष अवशेष धनराशि की उपलब्धता की स्थिति में ही निर्गत किया जायेगा।

(10) अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा।

(11) प्रश्नगत स्वीकृति मानक के सम्बन्ध में निदेशक द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर दी जारी है, यदि मानक के सम्बन्ध में कोई सूचना गलत पायी जाती है तो इसका उत्तरदायित्व निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण का होगा।

2- उपर्युक्त स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2023-2024 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-48 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक 2250- अन्य सामाजिक सेवायें-102-धार्मिक तथा पूर्त अक्षय निधि अधिनियमों का प्रशासन-05- उत्तर प्रदेश शिया/सुन्नी सेन्ट्रल वक्फ बोर्डों को अनावर्तक अनुदान-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर-वेतन) के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-4 के कम्प्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या- E-4-337-X-2023-24 दिनांक 28-03- 2024 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किया जा रहा है।

भवदीय,

(शकील अहमद सिद्दीकी)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या-811(1)/52-2-2024, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, लेखा प्रथम/आडिट प्रथम, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2- मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उत्तर प्रदेश शिया सेन्ट्रल वक्फ बोर्ड, लखनऊ।
3- वित्त/लेखाधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-4
6- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/4
7- नियोजन अनुभाग-3
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(शकील अहमद सिद्दीकी)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।